झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
आपराधिक विविध याचिका3238/2023

दीपेश मणि, उम्र लगभग 30 साल, बेटा दिलीप कुमार निवासी शुक्ला कॉलोनी, डाकघर एवं थाना डोरंडा, जिला रांची ... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. अनीता देवी, लगभग 45 वर्ष की आयु, बीरेंद्र कुमार सिंह की पत्नी, निवासी एच.इ.सी कॉलोनी, डी टी 1877 के पीछे, डाकघर एवं थाना धुरवा, जिला रांची ... विरोधी दल

याचिकाकर्ता के लिएः सुश्री राखी रानी, अधिवक्ता
श्री अखिलेश प्रसाद, अधिवक्ता,

राज्य के अधिवक्ताः सुश्री. लिली सहाय, अतिरिक्त लोक अभियोजक
विरोधीदल संख्या 2 के लिए : कोई नहीं

उपस्थित
माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायलय द्वारा : दोनों पक्षों को सुना

2. हालांकि विरोधी पक्ष नंबर 2 को वैध रूप से नोटिस दिया गया है, फिर भी बार-बार कॉल करने के बावजूद कोई भी विरोधी पक्ष नंबर 2 की ओर से उपस्थित होता है|

3. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें 2022 के शिकायत मामले संख्या 6508 में विद्वान J.M.F.C XVIII, रांची द्वारा दिनांक 04.07.2023 को पारित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसके द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने पाया कि अपराध के लिए प्रथम दृष्टया मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 417 और 420 के तहत दंडनीय है और समन जारी करने का आदेश दिया है और जो विद्वान J.M.F.C XVIII, रांची की अदालत में लंबित है।

4. याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि याचिकाकर्ता ने कई खाली हस्ताक्षरित चेक प्राप्त किए और खाली स्टाम्प पेपरों पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त किए और उनके लिए ऋण की व्यवस्था करने की आड़ में शिकायतकर्ता और उसके पति के बिक्री विलेख की फोटोकॉपी भी ली। यह शिकायतकर्ता का स्वीकृत मामला है कि याचिकाकर्ता अपने बैंक खाते में पैसे जमा करती थी और शिकायतकर्ता उक्त पैसे निकालने के लिए बैंक जाती थी, लेकिन शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता के कहने पर ऐसा किया। याचिकाकर्ता ने एक मामला दर्ज किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपराध एन.आइ अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय था। और उसके बाद शिकायतकर्ता को याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अपराध के बारे में पता चला और उसी के परिणामस्वरूप, शिकायतकर्ता ने शिकायत का मामला दर्ज किया क्योंकि पुलिस ने एफ. आइ.आर दर्ज नहीं किया था। शिकायत, गंभीर पुष्टि पर बयान और जांच गवाहों के बयान के आधार पर, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रथम दृष्टया मामला पाया, जैसा कि पहले ही ऊपर संकेत दिया गया है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने एक चेक जारी किया जिसका 31.12.2020 पर अपमान किया गया था। चेक में उल्लिखित राशि की मांग करने वाला एक कानूनी नोटिस यानी Rs.11,8,000/याचिकाकर्ता की ओर से जारी किया गया था, और वही शिकायतकर्ता को 14.01.2021 पर प्राप्त हुआ था और यह शिकायत याचिकाकर्ता द्वारा दायर उक्त शिकायत मामले में बचाव स्थापित करने के लिए 26.07.2022 पर देर से दायर की गई है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप झूठा है और यह झूठा मामला याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिशोध को नष्ट करने के लिए शुरू किया गया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ उसके बैंक खाते में किए गए लेनदेन की शुरुआत से शिकायतकर्ता को धोखा देने का कोई इरादा होने का कोई आरोप नहीं है। याचिकाकर्ता के लिए शिकायतकर्ता/विरोधी पक्ष नंबर 2 को धोखा देने का कोई तुकबंदी या कारण नहीं है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2022 के शिकायत मामले J.M.F.C XVIII, रांची द्वारा पारित 04.07.2023 दिनांकित आदेश, जो कि J.M.F.C XVIII, रांची की अदालत में लंबित है, को रद्द कर दिया जाए।

6. राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त लोक अभियोजक, ने रांची के जे.एम.एफ.सी VIII अदालत में लंबित शिकायत मामले संख्या 6508 वर्ष 2022 में 04.07.2023 को पारित आदेश को रद्द करने और निरस्त करने की मांग का जोरदार विरोध किया| राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त लोक अभियोजक, ने रांची के जे.एम.एफ.सी VIII अदालत में लंबित शिकायत मामले संख्या 6508 वर्ष 2022 में 04.07.2023 को पारित आदेश को रद्द करने और निरस्त करने की मांग का जोरदार विरोध किया| राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त लोक अभियोजक ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ निर्दोष शिकायतकर्ता को धोखा देने का प्रत्यक्ष और विशिष्ट आरोप है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आपराधिक विविध याचिका, बिना किसी योग्यता के होने के कारण, खारिज कर दिया जाए।

7. बार में प्रस्तुत किए गए प्रतिकूल तर्कों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री को ध्यानपूर्वक देखने के बाद, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध को स्थापित करने के लिए, आरोपी का धोखा देने का इरादा शुरुआत से होना चाहिए। यदि धोखा देने का इरादा बाद में विकसित होता है, तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **उमा शंकर गोपालिका बनाम बिहार राज्य** और अन्य मामले में निर्णय दिया है, जो कि **(2005) 10 SCC 336** में रिपोर्ट किया गया है, जिसके पैराग्राफ 6 में इस प्रकार लिखा गया है।

"अब हमारे द्वारा जांच किए जाने वाला सवाल यह है कि क्या शिकायत की याचिका में प्रकट किए गए तथ्यों पर आईपीसी की धाराओं 420/120 के तहत किसी भी आपराधिक अपराध को बहुत कम अपराध माना जाता है।आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत याचिका में एकमात्र आरोप यह है कि उन्होंने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि जब उन्हें 4,20,000 रुपये की बीमा राशि प्राप्त होगी, तो वे शिकायतकर्ता को 2,60,000 रुपये की राशि का भुगतान करेंगे, लेकिन इसका भुगतान कभी नहीं किया गया। इसके अलावा शिकायत की याचिका में कोई अन्य आरोप नहीं है। शिकायतकर्ता की ओर से यह बताया गया कि आरोपी ने धोखाधड़ी से शिकायतकर्ता को सहमत होने के लिए राजी किया ताकि आरोपी व्यक्ति 4,20,000 रुपये के दावे के संबंध में उपभोक्ता फोरम में जाने के लिए कदम उठा सकें। <u>यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अनुबंध का प्रत्येक उल्लंघन धोखाधड़ी के अपराध को जन्म नहीं देगा और केवल उन मामलों में अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के बराबर होगा जहां शुरुआत में ही कोई धोखाधड़ी की गई थी। यदि धोखा देने का इरादा बाद में विकसित हुआ है, तो यह धोखा नहीं हो सकता है।</u> वर्तमान मामले में यह कहीं नहीं कहा गया है कि शुरुआत में ही अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से धोखा देने का कोई इरादा था जो आईपीसी

की धारा 420 के तहत अपराध के लिए एक शर्त है।"

8. अब, मामले के तथ्यों पर आते हुए, निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता के बैंक खाते से उस राशि को स्थानांतरित कर दिया, जिसके लिए शिकायतकर्ता द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में चेक जारी किए जाते हैं। निर्विवाद रूप से, शिकायतकर्ता ने Rs.84,000// की निकासी के लिए अपने हस्ताक्षर के तहत एक चेक जारी किया। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा जारी चेक राशि की मांग के लिए नोटिस प्राप्त करने के बाद,शिकायतकर्ता पक्ष संख्या 2 ने कोई आपत्ति नहीं जताई और यह शिकायत एक साल से अधिक समय बाद दायर की गई, जिसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता पक्ष संख्या 2 के खिलाफ दर्ज मामले में वह पेश हुआ।इसलिए, यह समझना मुश्किल नहीं है कि इस शिकायत मामले को प्रतिशोध को नष्ट करने और एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के दंडनीय अपराध से जुड़े शिकायतकर्ता के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित मामले में बचाव स्थापित करने के लिए स्थापित किया गया है।इसलिए, इस आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां 2022 के शिकायत मामला संख्या 6508 में विद्वान J.M.F.C XVIII, रांची द्वारा दिनांक 04.07.2023 को पारित आदेश, जो कि विद्वान J.M.F.C XVIII, रांची की अदालत में लंबित है, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध किया गया है, को निस्तारित कर रद्द कर दिया जाए|

9. तदनुसार, दिनांक 04.07.2023 को J.M.F.C XVIII, रांची द्वारा 2022 के शिकायत मामले संख्या. 6508 में पारित आदेश, जो कि J.M.F.C XVIII, रांची की अदालत में लंबित है, को निस्तारित कर रद्द कर दिया गया है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 10 अप्रैल 2024
ए.एफ.आर/ अनिमेष-सरोज

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|